**बरेली पुलिस**

**थाना भमोरा जिला बरेली**

**प्रेस नोट दिनांक 21.02.2026**

**थाना भमोरा #bareillypolice व ANTF मेरठ की संयुक्त कार्यवाही में कुल 02 किलो 890 ग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 30 लाख) बरामद 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-**

दिनांक 20.02.2026 को सूचना प्राप्त हुयी कि परमशीला देवी पत्नी रोहित साहनी निवासी शहबाजपुर पोस्ट मालपुर सब डिस्ट्रिकट बचौचा जिला मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली है जो आज बिहार से अफीम लेकर आयी है जो थाना भमोरा क्षेत्र में कहीं पुष्पेन्द्र पुत्र विश्राम सिंह नि0 ग्राम जरारा थाना बिसौली जनपद बदायूँ को बेचेगी । सूचना पर ANTF यूनिट मेरठ व भमोरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र विश्राम सिंह नि0 ग्राम जरारा थाना बिसौली जनपद बदायूँ तथा महिला अभियुक्ता परमशीला देवी पत्नी रोहित साहनी निवासी शहबाजपुर पोस्ट मालपुर सब डिस्ट्रिकट बचौचा जिला मुजफ्फरपुर बिहार को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 किलो 890 ग्राम अवैध अफीम (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 30 लाख है) सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना भमोरा पर मु0अ0सं0 103/26 धारा 8/18/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

**सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.02.2026 को ANTF यूनिट मेरठ व थाना भमोरा पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना के आधार पर 1. पुष्पेन्द्र पुत्र विश्राम सिंह निवासी जरारा थाना बिसौली जनपद बँदायू तथा महिला हे0कां0 अनुपम द्वारा महिला अभियुक्ता 2.परमशीला देवी पत्नी रोहित साहनी निवासी शहबाजपुर पोस्ट मालपुर सब डिस्ट्रिकट बचौचा जिला मुजफ्फरपुर बिहार को बरेली बँदायू रोड़ से बमियाना रेलवे स्टेशन रोड़ पर 100 मीटर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। अभियुक्तगणों के कब्जे से कुल 2 किलो 890 ग्राम अफीम बरामद हुई, 03 मोबाईल फोन, 01 रेल टिकट व 1100 रुपये नकद, एक कार बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना भमोरा पर मु0अ0सं0 103/2026 धारा 8/18/60 NDPS ACT. पंजीकृत किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछः-**

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में अभियुक्ता परमशीला देवी उपरोक्त ने बताया कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ । मुझसे पुष्पेन्द्र ने बिहार से यह अफीम मंगायी थी । पुष्पेन्द्र मुझे अधिकतर व्हाट्सअप काल से फोन करता था। यह अफीम मैं आज पुष्पेन्द्र को बेचकर वापस जाने वाली थी तभी पुलिस ने पकड़ लिया व अभियुक्त पुष्पेन्द्र ने बताया कि मैं बिहार से अफीम मंगाकर बरेली तथा बदायूँ में लोगों को अच्छे दामों में बेच देता हूँ, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है । मैं पहले भी दो बार परमशीला देवी से अफीम मंगा चुका हूँ ।

**घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण –**

मु0अ0सं0 103/2026 धारा 8/18/60 NDPS ACT थाना भमोरा जिला बरली

**बरामदगीः-**

1. कुल 02 किलो 890 ग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 30 लाख)
2. 03 मोबाईल व 1100 रूपये
3. सेन्ट्रो कार

**पुलिस टीम का विवरणः-**

1. थानाध्यक्ष सनी चौधरी थाना भमोरा बरेली
2. उ0नि0 हीरेन्द्र सिंह थाना भमोरा बरेली
3. म0हे0कां0 544 अनुपम थाना भमोरा बरेली
4. ANTF टीम मेरठ